

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :- 85-राजपुर रोड, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून 0135-2740391 ईमेल-ccfird-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 29/अधि-1-14 देहरादून दिनांक, 05 अक्टूबर, 2023.

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक परीक्षा/430/2023-24 दिनांक 06.09.2023 से वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के पदों हेतु संस्तुत/चयनित इस वनादेश के संलग्नक 1 में दिए गए अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 यथासंशोधित की नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन आरक्षी के पद पर लेवल-3, वेतनमान 21700-69100 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

नियुक्ति की सामान्य शर्तें इस वनादेश के संलग्नक-2 के अनुसार होंगी तथा सेवाएँ समय समय पर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों, नियमावलियों व शासनादेशों से आच्छादित होंगी।

उक्त अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न 1 की तालिका के कॉलम 5 में दिए गए तैनाती वन प्रभागों/कार्यालयों में अपना योगदान दिनांक 20.10.2023 को सायं 5:00 बजे से पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे। यदि गर्भावस्था, गंभीर बीमारी, दुर्घटना में घायल, आदि किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश निर्धारित दिनांक तक योगदान देने में असमर्थ हो तो दिनांक 20.10.2023 को सायं 5:00 बजे से पूर्व योगदान देने में असमर्थता का कारण व साक्ष्य सहित आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त होने पर योगदान हेतु अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है जिस पर नियुक्ति अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न देने, योगदान हेतु अवधि विस्तार का आवेदन प्राप्त न होने अथवा विस्तारित अवधि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति को परित्याग किया गया है तथा उक्त रिक्ति के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति हेतु विभाग स्वतंत्र होंगे।

नियुक्त कार्मिक योगदान की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

29/10/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित व नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	तैनाती का वन प्रभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5
1	1221671119	श्री राकेश सिंह	श्री दान सिंह	केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर
2	1221671081	श्री प्रीतम सिंह	श्री राम सिंह	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
3	1229671004	श्री रवि कुमार	श्री देवेन्द्र सिंह	अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा
4	1205672417	श्री अनुप सिंह	श्री प्रबल सिंह	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
5	1107672036	श्री दीपक कुमार	श्री जगदीश प्रसाद सिलोरी	नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
6	1235672563	श्री सुधीर कोठारी	श्री मुन्नी राम कोठारी	टिहरी वन प्रभाग, टिहरी
7	1219671443	श्री पंकज सिंह सामन्त	श्री उम्मेद सिंह	पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ
8	1214671046	श्री विपिन सिंह	श्री कुंवर सिंह	केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर
9	1230672152	श्री सन्दीप सिंह	श्री रतन सिंह	टिहरी वन प्रभाग, टिहरी
10	1505672037	श्री संजय सिंह	श्री सुन्दर सिंह	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
11	1110671140	श्री दिनेश सिंह	श्री महीपाल सिंह	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
12	2109672052	श्री मनोज सिंह मेहरा	श्री मनोज सिंह मेहरा	अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा
13	1209672557	श्री तरुण नेगी	श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी	लैन्सडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार
14	1604672038	श्री संजय पंवार	श्री बंका सिंह पंवार	टिहरी वन प्रभाग, टिहरी
15	1312672387	श्री उमेश सिंह राजपूत	श्री मनीराम राजपूत	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
16	1301672513	श्री बलविन्दर सिंह	श्री करम सिंह	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
17	1212671394	अर्पूवा भण्डारी	श्री अमर सिंह भण्डारी	गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी
18	1212672230	ज्योति असवाल	श्री जसपाल सिंह असवाला	कालागढ टाईगर रिजर्व, लैन्सडाउन
19	1211671470	साक्षी	श्री नरेन्द्र सिंह	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
20	1322672178	श्री विकास चन्द्र	श्री भगत राम	गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी
21	1309671172	श्री योगेश कुमार	श्री बृजपाल सिंह पंवार	लैन्सडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार
22	2410672349	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री पूरन राम	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
23	1303672340	श्री गौतम भारती	श्री सुरेश चन्द	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

End of List

(निशान्त वर्मा)
सुरक्ष्य वृक्ष संरक्षक

अधीनस्थ वन सेवा के अंतर्गत वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति एवं तैनाती की सामान्य शर्तें

1. यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह के नोटिस या उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। वन आरक्षी द्वारा स्वयं भी सेवा छोड़ने का इच्छुक होने पर वन विभाग को एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करके सेवा से मुक्त हो सकता है।
2. इस नियुक्ति पर उपस्थिति देने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थयता प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
3. नियुक्ति हेतु निर्धारित कार्यालय में योगदान देने पर शपथ ग्रहण, सेवा पुस्तिका को भरना, नामांकन, नई पेंशन योजना का खाता खोलना, वेतन हेतु बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराना, आदि समस्त औपचारिकताओं को एक माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation programme) में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी।
4. उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली की नियम 19, 20 व 23 के प्राविधानों के अनुसार नियुक्त वन आरक्षी, योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए, परिवीक्षाधीन रहेगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य व आचरण संतोषजनक व सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने व स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य पाए जाने पर परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उन्हें स्थायी किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में परिवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
5. नियुक्त कार्मिक परिवीक्षा अवधि में अपने निर्धारित छः माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाना होगा जिसके लिए ऐसे दिनांक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।
6. वन आरक्षी के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अधीनस्थ वन सेवा नियमावली की नियम 21 के परंतुक के अनुसार उनकी उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रतियोगिता में अर्जित अंक के 100 प्रतिशत अधिभार व पद हेतु निर्धारित मूलभूत प्रशिक्षण में अर्जित अंकों के 50 प्रतिशत अधिभार के आधार पर पृथक से निर्धारित की जायेगी। अतः उपरोक्त तालिका को वरिष्ठता का क्रम न माना जाये।
7. नियुक्त वन आरक्षी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का पूर्ण पालन किया जाना होगा जिसके उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
8. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(1) के अनुसार प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी तथा धारा 19(1) के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया हो।
9. उत्तराखण्ड राज्य में लागू विभिन्न अधिनियम, नियमावलियाँ एवं शासनादेश राज्य के सरकारी वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।
10. इस नियुक्ति की शेष शर्तें व नियम वही होंगे जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, जिसका नियुक्त कार्मिक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. कार्मिक को प्रथम नियुक्ति/तैनाती स्थल पर उपस्थिति देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. यद्यपि आयोग द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आदि अभिलेखों का प्रथम दृष्ट्या सत्यापन के आधार पर नियुक्तियाँ दिया गया है, तथापि समस्त अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन संबंधित कार्यालयाध्यक्षों

द्वारा अपने स्तर से किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये गये किसी अभिलेख के इस नियुक्ति के पश्चात भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने अथवा नियुक्ति के शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है अथवा सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं जिसके लिए नियुक्त कार्मिक स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

13. तैनाती स्थान को बदलने हेतु सामान्यतः किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से दबाव अथवा प्रभाव डालने पर इसे कदाचार मानते हुए नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
14. इस नियुक्ति आदेश के क्रम में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति वन आरक्षी के पद पर प्रभाग आवंटित किया जा रहा है। सम्बन्धित निदेशक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी रेंजों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार तैनाती करेंगे।

Lm 4/10/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र संख्या 624/1-14 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड वन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित नियुक्त कार्मिक के अनुक्रमांक, मेरिट क्रमांक व फोटो पहचान पत्र के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करते हुए उनका योगदान स्वीकार करना सुनिश्चित करें। नियुक्त कार्मिकों की योगदान सूचना/योगदान नहीं देने की सूचना/योगदान हेतु अवधि विस्तार के आवेदन, आदि इस कार्यालय को दिनांक 26.10.2023 तक सूचित करने का कष्ट करें तथा नियुक्त कार्मिकों के सेवा अभिलेखों को पूर्ण किया जाना, वेतन भत्तों व पेंशन खाता खोलना, आदि योगदान औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा उनके लिए दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation programme) आयोजित कराने तथा अपनी बारी आने पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए। जहाँ नवनियुक्त वन आरक्षियों की संख्या अत्यधिक कम है वहाँ समीपवर्ती वन प्रभाग के माध्यम से अभिविन्यास कार्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी एवं आधुनिकीकरण को इस आशय से प्रेषित कि इस वनादेश को संलग्नकों सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नव नियुक्त वन आरक्षियों को आगामी प्रशिक्षण सत्रों में क्षमता के अनुसार यथाशीघ्र प्रशिक्षण हेतु नामित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त चयनित अभ्यर्थीगण को वेबसाइट के माध्यम से।
6. सुरक्षित पत्रावली।

Lm 4/10/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र संख्या 624/अधि-1-14, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप सचिव, वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।

Lm 4/10/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

176L
आ. का. का.
अ.
7/10/23